

दिनांक 19.01.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित नहीं। कई बार आवाजें दिलवायी गईं। न तो वकील अपीलान्त उपस्थित आये और न ही स्वयं अपीलान्त उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया। यह पत्रावली प्रारम्भ से ही आदेशिका दिनांक 10.08.16 की पालना में विचाराधीन है। जिसकी पालना वकील अपीलान्त द्वारा नहीं की गई थी। आज भी उनका उपस्थित न होना और गतादेशिका 10.08.16 की पालना न किया जाना उनका प्रकरण को आगे न चलाये जाने की मंशा को दर्शाता है। लिहाजा यह पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर